[illegible]

[illegible] 19/5/23

[illegible] 19/5/23

[illegible] हुयी। वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रूठे-[illegible] बार-2 आवाजे लगवायी गयी। ना है वादी वकील ना ही स्वयं वादी उपस्थित हुये। अतः पत्रावली सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अपील पक्षी अक्षम हाजरी) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.21 15:29:37 IST
Reason: SelfAttested